न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/7395/2001/डूंगरपुर

मणीलाल पुत्र मथूरालाल दवे निवासी आदर्श चौक डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 जगदीश चन्द्र पिता बंशीलाल दवे मकान नं. 34 तिलक नगर सेक्टर नम्बर 5 उदयपुर
2 संजय कुमार पुत्र बंशीलाल दवे निवासी 16बी सुभाषनगर मोती निकूंज केपास उदयपुर
3 श्रीमती विमला पत्नी रोशनलाल जोशी निवासी विलाभवन बोहरा गणेशजी के पास आयड उदयपुर
4 श्रीमती अंजना पत्नी नारायण लाल मेनारिया निवपसी आशीर्वाद भवन तिलक नगर सेक्टर नम्बर 3 उदयपुर
5 श्रीमती विध्या देवी विधवा अम्बिका प्रसाद दवे निवासी वखारिया चौक डूंगरपुर
6 नयनदेव पिता अम्बिका प्रसाद दवे निवासी वखारिया चौक डूंगरपुर
7 श्रीमती जिज्ञासा दवे पुत्री अम्बिका प्रसाद दवे पत्नी दिगन्त पण्डया निवासी 31 कीर्ति कुमार मध्यम वर्ग सोसायटी भूल भाई पार्क रास्ता गीता मंदिर रोड अहमदाबाद गुजरात
8 सुश्री हिमांसी पुत्री अम्बिका प्रसाद दवे नाबालिग जरिये प्राकृतिक वलीमाता श्रीमती विध्यादेवी निवासी वखारिया चौक डूंगरपुर
9 गिरिजा शंकर पुत्र मथुरालाल दवे (मृतक) जरिये वारिसान
9/1 मनोज पुत्र गिरीजा शंकर लाईब्रेरीयन क्लर्क पुस्तकालय राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर निवासी शास्त्री कालोनी नये बस स्टेण्ड के पास, डूंगरपुर
9/2 प्रदीप पुत्र गिरीजा शंकर निवासी ग्राम सांवला तहसील आसपुर
10 इन्द्र प्रसाद पुत्र मथुरालाल दवे (मृतक) जरिये वारिसान
10/1 श्रीमती शंकुन्तला देवी बेवा इन्द्र प्रसाद दवे
10/2 दुष्यन्त पुत्र इन्द्र प्रसाद दवे समस्त निवासी राजमल जी डांगरिया स्टेट बैंक के सामने मेन बस स्टेण्ड के पास गांव पारसोला तहसील धरियावद जिला उदयपुर
11 महेशचंद पुत्र मथुरालाल दवे (फौत) जरिये वारिसान
11/1 प्रतिभा बेवा महेशचन्द्र
11/2 पीनल पुत्र महेशचन्द्र
11/3 स्नेहल पुत्र महेशचन्द्र
11/4 गुन्जन पुत्री महेशचन्द्र सभी निवासी आदर्श चौक डूंगरपुर

12 श्रीमती सविता पत्नी गणेशलाल भट्ट मार्फत नन्दकिशोर नागर गणगौर घाट सांस्कृतिक संध्या के सामने उदयपुर
13 श्रीमती रमिला पत्नी भंवानी शंकर भट्ट निवासी महालक्ष्मी सोसायटी सरकारी दवाखाना के पास मुकाम वटवा अहमदाबाद गुजरात
14 श्रीमती मधुकांता पत्नी शैलेश कुमार मार्फत इन्द्रराय जोशी निवासी 71, न्यू महार्लक्ष्मी सोसायटी सरकार दवाखानेके पास मुकाम वटवा अहमदाबाद गुजरात
15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर

प्रतयर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री पूर्णाशंकर दशोरा वकील अपीलार्थी
श्री अभिषक शर्मा वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.14.9.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, डूंगरपुर द्वारा अपील संख्या 32/99 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.8.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 ने सहायक कलक्टर, डूंगरपुर के न्यायालय में प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध बाबत बटवारा कराये जाने का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान अपीलार्थी के हकीकी भतीजे हैं। मौजा भण्डारिया में खाता संख्या 7 का कुल रकबा 99 बीघा 4 बिस्वा में वादीगण का 1/2 हिस्सा है अतः बंटवारा कराया जावे। इसी प्रकार मौजा भण्डारिया के खाता नम्बर 6 के कुछ खेत प्रतिवादीगण ने अकेले ने 1800 रूपये में विक्रय कर दिये जिसकी आधी रकम वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया एवं पंच फैसले से खाता संख्या 7 की सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी अपीलार्थी को दी जाना कथन किया एवं खाता संख्या 6 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की है जिससे विक्रय करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को होना व्यक्त करते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायलाय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर प्रकरण में तीन पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 25.2.91 से

वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध वादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, डूंगरपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 21.8. 2001 से अपील स्वीकार कर वादीगण का वाद खाता संख्या 7 के संबंध में डिक्री कर अलग खाता कायम किये जाने का निर्देश सहायक कलक्टर, डूंगरपुर को दिया तथा खाता संख्या 6 के संबंध में वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने वाद को क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया था तथा तथ्यों पर कोई निर्णय नहीं दिया था। जिससे प्रथम अपीलीय न्यायालय यदि वाद को राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मानती है तो प्रकरण को वापस विचारण न्यायालय को भेजा जाना चाहिये था। विवादित भूमि के बंटवारे का पंच फैसला दिनांक 12.8.67 को हो गया था एवं आरबीट्रेशन एक्ट 1940 दिनांक 12.2.51 को सम्पूर्ण भारत में लागू हो गया था जिससे प्रतिवादी अपीलार्थी स्वतः विवादित भूमि का खातेदार बन जाता है। वादीगण प्रत्यर्थीगण ने अपने हिस्से के 2501 रूपये प्राप्त कर लिये थे एवं दिनांक 12.8.67 के बाद वादीगण का कब्जा काश्त भी नहीं रहा है। वादीगण प्रत्यर्थीगण ने अपने वाद में प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थी द्वारा 1800 रूपये में भूमि बेची जाना एवं उसकी आधी रकम दिलाये जाने का अनुतोष मांगा है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण ने पंच फैसले के आधे भाग को स्वीकार किया है। दिनांक 12.8.67 का पंच फैसला आपसी कुटुम्बी फैसला था जिसे पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि का पैसा प्राप्त कर लिया था जिससे अब उनका कोई हक व हिस्सा खाता संख्या 7 की भूमि में नहीं रहा है तथा खाता संख्या 6 की भूमि तन्हा प्रतिवादी अपीलार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें वादीगण प्रत्यर्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय निराधार एवं तथ्यों को समझे बिना दिया गया है। पंच फैसला आरबीट्रेशन एक्ट, 1940 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि में रूल आफ दी कोर्ट नहीं बनवाया गया है जिससे कोई महत्व नहीं रखता है। कृषि भूमि के बंटवारे का दावा राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का ही है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी तथ्यों का विवेचन करते हुए गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए विवादित आराजीयात को संयुक्त खातेदारी की मानकर बंटवारा की डिक्री जारी की है जो न्यायोचित है। पंच फैसला रूल आफ दी कोर्ट नहीं बनवाने से कोई

महत्व नहीं रखता है एवं इसकी पालना कराने का प्रयास भी नहीं किया गया है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि पंच फैसला दिनांक 12.8.67 का पंच फैसला रूल आफ दी कोर्ट बनवाये बिना दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है, दावा खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए विवादित आराजीयात के खाता संख्या 7 की आराजीयात में वादीगण का आधा हिस्सा मानते हुए बंटवारा किये जाने की डिक्री दी है। खाता संख्या 6 के संबंध में वाद खारिज किया है।

7. यह स्पष्ट है कि खाता संख्या 7 की आराजीयात वादीगण/प्रत्यर्थीगण एवं प्रतिवादी/अपीलार्थी के संयुक्त खातेदारी में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी प्रदर्श 1 प्रदर्श 3 एवं प्रदर्श 5 में दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक भूमि होकर संयुक्त खातेदारी की है तथा वादीगण का आधा हिस्सा है। खाता संख्या 6 की आराजीयात प्रतिवादी अपीलार्थी के तन्हा खातेदारी में दर्ज है। खाता संख्या 6 की आराजीयात के संबंध में वादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे खाता संख्या 6 की आराजीयात पैतृक होकर संयुक्त खातेदारी में रही हो, साबित हो सके। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खाता संख्या 7 की आराजीयात का बंटवारा किये जाने एवं खाता संख्या 6 के संबधं में वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निर्णय दिया है जो न्यायोचित है।

8. जहां तक पंच फैसला दिनांक 12.8.67 का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि इस पंच फैसल पर रूल आफ कोर्ट नहीं हुआ है जिससे इसका लाभ प्रतिवादी अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा पंच फैसले के संबंध में दिये गये तर्क कोई महत्व नहीं रखते हैं एवं पंच फैसले का कोई लाभ प्रतिवादी अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा पंच फैसले की पालना कराई जा सकता है अथवा नहीं, इस संबंध में आरबीट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सिविल न्यायालय द्वारा तय किया जाना अपेक्षित मानते हुए एवं दावे में पैसो के लेनदेन की बात आने से दावे को राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं माना। चूंकि उपरोक्तानुसार पंच फैसले का रूल आफ कोर्ट निर्धारित समयावधि में नहीं बनवाने से इस बंटवारे में दावे में उसका अब कोई महत्व नहीं रहता है। बंटवारा एवं घोषणा के दावे सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय

का ही है। जहां तक पैसो के लेन देन का प्रश्न है, इस सीमा तक वाद सिविल नेचर का रहता है। परन्तु वर्तमान प्रकरण में जब पंच फैसले का रूल आफ कोर्ट नहीं बनवाया गया तो उसके आधार पर वर्तमान वाद को राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार से बाहर का नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, डूंगरपुर का निर्णय दिनांक 21.8.2001 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(सूरजभान जैमन)
सदस्य